रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26, 2003/वैशाख 6, 1925
No. 393] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26, 2003/VAISAKHA 6, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2003

का. आ. 479(अ).— दीनदार अंजुमन के पाकिस्तान में संपर्क हैं और वह ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त है जो देश की सुरक्षा के प्रतिकूल है तथा जिनसे देश की शांति और सांप्रदायिक सामंजस्य के विक्षुब्ध होने और उसके पंथनिरपेक्ष ताने बाने के छिन्न-भिन्न होने की संभावना है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि,-

(i) मई से जुलाई, 2000 के दौरान दीनदार अंजुमन ने आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और गोवा राज्य में चर्च परिसरों तथा अन्य स्थानों में बम विस्फोट किए हैं ;

(ii) उक्त संगठन ईसाई विरोधी आपत्तिजनक साहित्य तथा पैम्फलैट बांटने तथा गुप्तचरी गतिविधियों में संलिप्त था ;

(iii) उक्त संगठन के पाकिस्तान में मरदान में संपर्क हैं तथा यह भारत में असंतुष्ट मुस्लिम युवाओं के गुटों को लेकर एक जेहाद आरंभ करने के लिए आतंकवादी संगठन बना रहा है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य उपमहाद्वीप का पूर्णतः इस्लामीकरण करना है ;

(iv) उक्त संगठन ने विघ्न पैदा करने की, विशेषरूप से ईसाइयों तथा हिन्दुओं और साथ ही अन्य समुदायों के मध्य घृणा का संवर्धन करने, संदेह तथा दुर्भावना करने का सृजन करने की योजना बनाई थी ;

(v) उक्त संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को, सरकार को, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपमानित करने तथा आंतरिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य से, ईसाई संस्थाओं पर आक्रमण करने के निदेश दिए थे ; और

(vi) उक्त संगठन ने रेलवे, दूरसंचार तंत्र, विद्युत ग्रिड, तेल परिष्करणियों तथा रक्षा संस्थापनों जैसे प्रमुख अवसंरचनात्मक संस्थापनों को लक्ष्य बनाने की योजनाएं बनाई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि उपरोक्त कारणों से दीनदार अंजुमन के क्रियाकलापों, भारतीय समाज की शांति, सांप्रदायिक सामंजस्य, आंतरिक सुरक्षा और पंथनिरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखने के लिए अहितकर है और यह एक विधि-विरुद्ध संगम है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 कर 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीनदार अंजुमन को एक विधि-विरुद्ध संगम घोषित करती है ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि यदि दीनदार अंजुमन के विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों को तत्काल दबाया और नियंत्रित नहीं किया गया तो इसे-

(i) देश के सामाजिक ताने बाने को विध्वंस करने की दृष्टि से ईसाई तथा अन्य समुदायों के मध्य तनाव पैदा करने और देश की पंथनिरपेक्ष विश्वसनीयता को मलिन करने ;

(ii) अपने आपको पुनःसंगठित करने और महत्वपूर्ण संस्थापनों के अंतर्ध्वंस में लिप्त होने,

का अवसर मिल जाएगा ।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि दीनदार अंजुमन के ऊपर यथाउल्लिखित क्रियाकलापों को देखते हुए, इसे तत्काल प्रभाव से विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है और तद्नुसार केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश के अध्यधीन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. II-14017/1/2003-एनआई-III]

ए. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2003

S.O. 479(E).— Whereas the Deendar Anjuman is having links in Pakistan, and is indulging in activities which are prejudicial to the security of the country, having the potential to disturb peace and communal harmony and to disrupt the secular fabric of the country;

And whereas, the Central Government is of the opinion that,-

(i) during May to July, 2000, the Deendar Anjuman engineered bomb explosions in Church premises and other places in the States of Andhra Pradesh, Karnataka and Goa;

(ii) the said organization was engaged in distribution of objectionable anti-Christian literature and pamphlets, and in espionage activities;

(iii) the said organisation has links at Mardan in Pakistan and has been organizing bands of disgruntled Muslim youths in India into a militant outfit for launching Jehad with the avowed objective of total Islamisation of the sub-continent;

(iv) the said organization planned to create disturbances, particularly by promoting hatred and creating suspicion and ill-will among the Christians and Hindus as well as among other communities;

(v) the said organization had directed its activists to attack Christian institutions with the objective of embrassing the Government, particularly in the international community and weakening it internally; and

(vi) the said organization had plans to target major infrastructural installation including railways, telecom network, electricity grids, oil refineries and defence installations;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that for the aforesaid reasons, the activities of Deendar Anjuman are detrimental to the peace, communal harmony, internal security and maintenance of secular fabric of the Indian society, and that it is an unlawful association ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Deendar Anjuman to be an unlawful association;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of Deendar Anjuman are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity to-

(i) create tension among the Christians and other communities with a view to disrupting the social fabric and tarnish the secular credentials of the country;

(ii) re-organise itself and indulge in sabotage of vital installations.

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of Deendar Anjuman as mentioned above, it is necessary to declare it as an unlawful association with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. II-14017/1/2003-NI-III]

A. K. JAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.